न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 79/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 26.09.2019
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

डॉ0 अनीता बाला सक्सेना पुत्री स्व0 शांतीभूषण सक्सेना जाति कायस्थ निवासी मकान नं0 23 मारूति कॉलोनी नयापुरा कोटा राज0।

...अपीलांट

बनाम

1 वेदभूषण सक्सेना पुत्र स्व0 किशन सहाय जाति कायस्थ निवासी लालचंद पांडया वकील के मकान के सामने मकान नं0 138 विजयपाड़ा रामपुरा, कोटा राज0।
2 राजेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र स्व0 किशन सहाय जाति कायस्थ निवासी मकान नं0 सी–5 बल्लभबाड़ी गुमानपुरा कोटा राज0।
3 डॉ0 अजय सक्सेना पुत्र स्व0 शांतीभूषण सक्सेना निवासी प्लॉट नं0 24 मारूति कोलोनी नयापुरा कोटा राज0।
4 संदीप सक्सेना पुत्र स्व0 शांतीभूषण सक्सेना (मृतक) जरिये कायम मुकामान
4/1–श्रीमति रंजना सक्सेना पत्नी स्व0 संदीप सक्सेना आयु 52 वर्ष
4/2–आश्रय सक्सेना पुत्र स्व0 संदीप सक्सेना आयु 28 वर्ष
4/3–पार्थ सक्सेना पुत्र स्व0 संदीप सक्सेना आयु 25 वर्ष
निवासीगण 72 गोपाल बिहार II, बारां रोड़, कोटा।
5. अनिल कुमार सक्सेना पुत्र स्व0 शांतीभूषण सक्सेना जाति कायस्थ, निवासी मकान नं0 ए–412, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर, राज0।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा राज0।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री सुनील महर्षि अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 3
श्री राकेश कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–5

::निर्णय::

दिनांक 6.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 141/2018 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 बउनवान डॉ0 अनिता बाला सक्सेना बनाम वेदभूषण सक्सेना वगै0 आदि मे पारित निर्णय दिनांक 09.07.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण सं0 803 दिनांक 4.8.2017 ग्राम बालीता तह0 लाड़पूरा खारिज करने एंव भूमि धारा 187 भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम

बालीता स्थिति भूमि खसरा नं0 389/0.12 हेक्टर व 398/0.95 हेक्टर कुल 2 किता की 1.07 है0 का बटवारा कराये जाने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई। उक्त अपील प्रकरण मे अपीलार्थीया की ओर से दिनांक 26.2.2019 को प्रार्थनाा पत्र आर्डर 22 रूल 1 एंव 151 सीपीसी का पेश कर नामा0 सं0 803 को विड्रो किये जाने एवं नये सिरे से अपील पेश करने की इजाजत दी जाकर संशोधित अपील पेश की इजाजत बावत इस्तदुआ की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 9.7.2019 से अपीलांट द्वारा अपील को आगे नही चालना चाहता है इस कारण अपील को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2019 एज विड्रो निर्णित किया जाकर सम्पूर्ण अपील एज विड्रो खारिज करदी जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 4.8.2017 की आर्डरशीट को प्रस्तुत कर दिया था इस त्रुटि को दूर करने के लिये अपीलांटा के अधिवक्ता ने आर्डर 23 यल 1 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि वह दिनांक 22.9.2017 के तहसीलदार के आदेश की ही अपील पेश करना चाहता है इस कारण से दिनांक 22.9.2017 की हद तक अपील विड्रो करके नई अपील पेश करने की इजाजत दी जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी पहलू को समझने मे भूल कर के प्रार्थना पत्र विड्रो करने अपील एवं सम्पूर्ण अपील खारिज करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 9.7.2019 एवं तहसीलदार लाडपुरा कोटा का निर्णय दिनांक 22.9.2017 अपास्त किया जावे व अपीलांटा के नाम इंतकाल तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट के दादा स्वर्गीय किशन सहाय सक्सेना के खाते की भूमि थी। किशन सहाय सक्सेना की मृत्यु दिनांक 25.12.1975 को हो गई थी। रेस्पो0 कम– 1 व 2 ने मिलीभगत करके वसीयत अनुसार उक्त भूमि का नामा0 सं0 803 दिनांक 22.9.2017 से लगभग 42 वर्ष बाद अपने नाम दर्ज करा लिया। जबकि किशन सहाय सक्सेना ने अपने जीवनकाल मे किसी प्रकार की वसीयत नहीं की थी। वसीयत फर्जी है। एलआररूल्स 131 के अनुसार वसीयत की जांच की जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जांच नही की। अपीलांटा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण मे आर्डर 23 रूल 1 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बावत वह दिनांक 22.9.2017 के तहसीलदार के आदेश की ही अपील पेश करना चाहता है इस कारण से दिनांक 22.9.2017 की हद तक अपील विड्रो करके नई अपील पेश करने की इजाजत दी जाने का पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी पहलू को समझने बिना ही प्रार्थना पत्र विड्रो करने अपील एवं सम्पूर्ण अपील खारिज करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। बहस मे यह भी बताया कि नामा0 की प्रथम अपील एडीएम मे एवं द्वितीय अपील एडीसी मे किये जाने का प्रावधान प्रदत्त है जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील आदेश दिनांक 9.7.2019 की अपील का श्रृवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्रदत्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.07.2019 एवं तहसीलदार लाड़पुरा कोटा दिनांक 22.09.2017 अपास्त किया जाकर अपीलाट के नाम इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश प्रदान किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत RRD 2019 पेज नं0 215, Mutation Rules 131 पेज नं0 385 न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के सभी वारिसान की जांच कर नामा0 सं0 803 खोला गया है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2019 को पारित उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 व धारा 151 सीपीसी पर पारित किया गया है जो कि अपील योग्य नहीं है। अतः उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 76 के तहत प्रस्तुत अपील कानूनन मेन्टेनेबल ना होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील आदेश दिनां 9.7.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण सं0 803 दिनांक 4.8.2017 ग्राम बालीता तह0 लाडपूरा खारिज करने एंव भूमि धारा 187 भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बालीता स्थिति भूमि खसरा नं0 389/0.12 हेक्टर व 398/0.95 हेक्टर कुल 2 किता की 1.07 है0 का बटवारा कराये जाने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी। उक्त अपील प्रकरण मे अपीलार्थीया की ओर से दिनांक 26.2.2019 को प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 1 एंव 151 सीपीसी का पेश कर नामा0 सं0 803 को विड्रो किये जाने एवं नये सिरे से अपील पेश करने की इजाजत दी जाकर संशोधित अपील पेश की इजाजत बावत इस्तदुआ की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 9.7.2019 से अपीलांट द्वारा अपील को आगे नही चालना चाहता है इस कारण अपील को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2019 एज विड्रो निर्णित किया जाकर सम्पूर्ण अपील एज विड्रो खारिज करदी। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थीया का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी पहलू को समझने बिना ही सम्पूर्ण अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। आलौच्य जेरअपील आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 26.2.2019 को प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 1 एंव 151 सीपीसी का पेश कर नामा0 सं0 803 को विड्रो किये जाने एवं नये सिरे से अपील पेश करने की इजाजत चाही जाकर संशोधित अपील पेश की इजाजत बावत इस्तदुआ की गई थी ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट अपील को आगे नही चलाना चाहता है वर्णित कर प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2019 आर्डर 23 व 151 सीपीसी का एज विड्रो निर्णित कर सम्पूर्ण अपील को एज विड्रो एज आलौच्य आदेश दिनांक 9.7.2019 से खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित कानूनी तथ्यों को समझे बिना सम्पूर्ण अपील प्रार्थना पत्र एज विड्रो खारिज की जाना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 9.7.2019 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आलौच्य आदेश दिनांक 9.7.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2019 आर्डर 23 व 151 सीपीसी का विधिवत निस्तारण करते हुये अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा